XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–80/2008

सुलोचना देवी, पति–नवीन साह, साकिन–तेलियारी, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ
.....

आवेदिका

बनाम्

मीरा देवी, पति–शिवराज साह, साकिन–तेलियारी, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ
.....

विपक्षी

आदेश

आवेदिका भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–19/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदिका 03 डिसमिल जमीन बीरो साह से रजिस्टर्ड केवाला संख्या–2125 द्वारा दिनांक 17.03.1988 को खरीदी थी और अपने नाम जमीन का नामान्तरण भी करवाई, जिसका जमाबन्दी संख्या–3626 है। बीरो साह उक्त जमीन खतियानी मालिक मंगल साह की पत्नी मोसमात हाहो देवी से खरीदा था। उक्त जमीन मौजा–भवानीपुर राजधाम, थाना नं0–185/2, खाता संख्या–1863, खेसरा संख्या–1570/5512, कुल रकवा–06 (छः) डिसमिल है, जिसका खतियान बुचाई साह के नाम से था। बुचाई साह को 02 पुत्र मंगल साह एवं टीनू साह था, इस प्रकार दोनों के हिस्से में 3–3 डिसमिल जमीन था। मंगल साह के हिस्से की जमीन 03 डिसमिल आवेदिका खरीदी थी। विपक्षी मीरा देवी दूसरे हिस्सेदार टीनू साह के पुत्र सुधीर साह एवं अन्य से जमीन खरीद कर नामान्तरण हेतु आवेदन दी। अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षी के नामान्तरण के कम में आवेदिका के जमाबन्दी से जमीन निकालकर विपक्षी के नाम नामान्तरण का आदेश दिया गया। पुनः आवेदिका जानकारी मिलने पर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–19/2006 दायर की। लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा बिना जाँच किये ही आवेदिका द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदिका निवेदन करती है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन करते हुए न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदिका द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदिका बीरो साह से जमीन खरीदी थी और बीरो साह अकेले 3 डिसमिल के हिससेदार नहीं थे। अतः बीरो साह द्वारा आवेदिका को 3 डिसमिल जमीन बेचना ही अवैध है। उसी प्रकार हाहो देवी, जिससे बीरो साह ने जमीन खरीदा था, वह भी अकेले पूरी जमीन की मालिक नहीं थी, जिसे संलग्न वंशावली में देखा जा सकता है। वंशावली से स्पष्ट है कि हाहो देवी मात्र 01 (एक) डिसमिल जमीन बेच सकती थी। वीरो साह ने खेसरा संख्या–1570/5552 खरीदा था, जबकि बेचा है खेसरा संख्या–1570/5512 जो गलत है। यह भी सत्य है कि आवेदिका भी मंगल साह (भूस्वामी) की वारिस है और कुल 1½ डिसमिल जमीन पर उसका मकान मय सहन है। उल्लेखनीय है कि जमीन का खतियान में

रकवा 6 डिसमिल है, किन्तु स्थल पर एवं नक्शा में 03 डिसमिल ही है। 03 डिसमिल जमीन में 1½ डिसमिल पर आवेदिका का दखल है, 1¼ डिसमिल पर विपक्षी का एवं शेष ¼ डिसमिल पर टीनू साह के वारिस का दखल है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदिका द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

अंचलाधिकारी, भवानीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका का मकानमय सहन 1½ डिसमिल जमीन पर तथा विपक्षी का भी दखल 1½ डिसमिल जमीन पर है, जबकि विपक्षी 1¼ डिसमिल जमीन ही खरीदी है। शेष 250 वर्ग कड़ी जमीन अधिक दखल में है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24.10.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी के द्वारा उनकी अनुपस्थिति में जाँच किया गया एवं जाँच प्रतिवेदन गलत है। उनके द्वारा सम्पूर्ण 03 डिसमिल जमीन पर दखल--कब्जा रहने की बात कही गयी।

विपक्षी का कहना है कि आवेदिका के द्वारा उक्त जमीन का कय किया गया है। परन्तु कय से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। विवादित जमीन पर विपक्षी का दखल--कब्जा है। तत्संबंधी जिक अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में भी है।

पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के आलोक में आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ